[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या 7 एच०एल०ए०

बीज (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2025

बीज अधिनियम, 1966 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम बीज (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. बीज अधिनियम, 1966 की धारा 19 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी अर्थात् :– 1966 के केन्द्रीय अधिनियम 54 की धारा 19क का रखा जाना।

"19क. धारा 7 की उल्लंघना के लिए शास्ति.– इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 7 की उल्लंघना में किए गए अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे–

(i) जहां कोई अपराध किसी कम्पनी/उत्पादक द्वारा किया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के होने के समय, कारबार के संचालन के लिए प्रभारी था और कम्पनी/उत्पादक के प्रति उत्तरदायी था, कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने, जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन लाख रूपए तक का हो सकेगा, से भी दायी होगा। आगे, किसी कम्पनी/उत्पादक, जिसे किसी अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध किया जा चुका हो, द्वारा कोई अपराध किए जाने की दशा में, कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने, जो तीन लाख रूपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, से भी दायी होगा;

(ii) जहां कोई अपराध किसी व्यवहारी/व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो वह कारावास, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने, जो पचास हजार रूपए से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, से भी दायी होगा। आगे, किसी व्यवहारी/व्यक्ति, जिसे किसी अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध किया जा चुका हो, द्वारा कोई अपराध किए जाने की दशा में, कारावास, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने, जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रूपए तक का हो सकेगा, से भी दायी होगा।

व्याख्या.– इस धारा के प्रयोजनों हेतु,–

(i) 'उत्पादक' से अभिप्राय है, किसी व्यवहारी के माध्यम से आगे विक्रय के किए बीजों के वाणिज्यिक उत्पादन में नियोजित कोई व्यक्ति; तथा

(ii) 'व्यवहारी' से अभिप्राय है, बीजों के विक्रय, निर्यात या आयात का कारबार करने वाला कोई व्यक्ति तथा इसमें ई–विक्रयी, ई–विक्रयी और व्यवहारी का कोई अभिकर्ता भी शामिल है।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

बीज अधिनियम, 1966 विक्रय के लिए कतिपय बीजों की गुणवता को विनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियमित किया गया था।

यह ध्यान में आया है कि बहुत से उत्पादक, व्यापारी तथा विक्रेता बीज जो मानकों के अनुसार नहीं हैं, के उत्पादन, संग्रहण, विक्रय, आयात, परिवहन तथा वितरण में लगे हुए हैं। किसानों को ऐसे बीज बेचे जा रहे हैं जो कृषि उपज की उत्पादकता के सुधार के लिए परिणाम नहीं देते हैं। वे फसल उत्पादन की लागत में बढोतरी करने तथा अर्थव्यवस्था की हानि के परिणामिक भी है।

इसलिए हरियाणा सरकार ने घटिया बीज के विक्रय को रोकने के लिए इसे उचित समझा है तथा इस प्रयोजन के लिए बीज अधिनियम, 1966 हरियाणा राज्यार्थ की धारा 7 के उल्लंघन के लिए धारा 19 के बाद धारा 19–क रखी गई है। कड़े दण्ड के लिए राज्य सरकार ने इसे संज्ञेय तथा अजमानतीय अपराध बनाया है।

विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

श्याम सिंह राणा,
कृषि मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 12 मार्च, 2025

डॉ सतीश कुमार,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 12 मार्च, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

11722—H.V.S.—H.G.P.—Pkl.